

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी, (नागौर)

पीठासीन अधिकारी - रामसुख गुर्जर RAS
राजस्व वाद संख्या 164/18

वादी

बनाम

बनाराम

केम्प ग्राम पंचायत सरगोहे

प्रतिवादीगण,

तहसील

सत्यमेव जयते

वाद पत्र धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

दिनांक :- 7/11/18

वादी के वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी श्री बनाराम पुत्र राहु राम जाति कुमवार निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर का रहने वाला है, वादी का नाम ग्राम सरगोहे के खाता संख्या/खसरा नम्बर 109, 113, 114, 115 में श्री बनाराम पुत्र राहु राम जाति कुमवार अंकित हो गया है, जो सही नहीं है। राशनकार्ड/ पहचान पत्र/आधार कार्ड में सही नाम बनाराम पुत्र राहु राम है, इसलिए उक्त खाता में गलत नाम हटाकर सही नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी की गई। कि वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट कैम्प सरगोहे में पेश करे। पत्रावली केम्प सरगोहे में पेश हुई। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। वादी ने अपने नाम का रेकार्ड में दुरुस्ती हेतु कैम्प सरगोहे में दस्तावेज पेश किये, जो शामिल मिसल किये। कैम्प में उपस्थित मौतबरान से पूछताछ व वादी के वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन एवं मनन करने पर वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से कैम्प में डी स्वीकार कर आदेश निम्न प्रकार पारित किया गया।

आदेश

ग्राम सरगोहे तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या/खसरा नम्बर 109, 113, 114, 115 में वादी श्री बनाराम पुत्र राहु राम निवासी कुचामनसिटी की जगह वादी का सही नाम बनाराम पुत्र राहु राम जाति कुमवार निवासी कुचामनसिटी दुरुस्त किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो, मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 7/11/18 को सरे आम कैम्प सरगोहे में सुनाया गया।

हयखंड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)